न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
उपस्थित– चैरब बत्रा (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)
दिनांक 16.02.2024
फौजदारी वाद संख्या 922 सन् 2022
सुरेश बिजल्वाण बनाम बच्चीराम।
सी0एन0आर0नं0–UKUT02-001131-2022
परिवाद अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881

परिवादी	सुरेश बिजल्वाण, पुत्र श्री रामशंकर बिजल्वाण, प्रो0 मालिक गोपाल इण्टर प्राइजेज नागणी थाना धरासू पटटी बिष्ट तहसील चिन्यालीसोड जिला उत्तरकाशी।
वादी के अधिवक्ता	श्री हलीम बेग, ऐडवोकेट।
अभियुक्त	बच्ची राम, पुत्र श्री राजेन्द्र लाल, निवासी ग्राम धनपुर थाना धरासू पटटी बिष्ट तहसील चिन्यालीसोड जिला उत्तरकाशी।
अभियुक्त के अधिवक्ता	श्री अमित असवाल, ऐडवोकेट।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि	11.10.2022
आरोप/बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0संहिता अंकित किये जाने की तिथि	08.05.2023
साक्ष्य आरम्भ की तिथि।	23.05.2023
साक्ष्य समाप्ति की तिथि।	22.07.2023
पत्रावली निर्णय हेतु नियत किये जाने की तिथि	06.02.2024
निर्णय की तिथि	16.02.2024

अभियुक्त का विवरण

क0 सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/अभियुक्त द्वारा आत्मसम्पर्ण की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	आरोपित अपराध की धारा	दोषमुक्ति/दोषसिद्धि	अधिरोपित कारावास	अभियुक्त द्वारा कारावास में बितायी गयी अवधि
1.	बच्ची राम	16.03.23	16.03.23	138 एन0 आई0 एक्ट	दोषसिद्ध	दोषसिद्ध अभियुक्त बच्चीराम को पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध को तीन माह के साधारण कारावास की सजा तथा मु0 2,22,000/रू0 (दो लाख बाईस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की धनराशि में से मु0 2,20,000/रू0 (दो लाख बीस हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होगा, शेष धनराशि मु0 2,000/रू0 (दो हजार रूपये) राजकोष में जमा की जायेगी।जुर्माने की धनराशि मु0 2,000/रू0 (दो हजार रूपये) अदा न करने पर दोषसिद्ध को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।	–

निर्णय

1. परिवादी सुरेश बिजल्वाण प्रो0 गोपाल इन्टर प्राईजेज द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्त बच्चीराम का विचारण धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881, के अन्तर्गत किया गया।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र में कथन इस प्रकार है कि, परिवादी की नागणी में गोपाल इण्टर प्राइजेज के नाम से दुकान है जिसका परिवादी स्वामी है। उक्त दुकान में परिवादी भवन निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री जिसमें टेंके प्लेट, कडी, तख्ते, मिक्चर मशीन, पानी के टेंक आदि शामिल है, को भाडे में देने का व्यवसाय बिगत 15 वर्षो से करता चला आ रहा है। अभियुक्त ठेकेदारी का कार्य करता है और परिवादी से अभियुक्त की काफी वर्षो से अच्छी जान पहचान है और अभियुक्त ने कई बार परिवादी की फर्म दुकान से अपने ठेकेदारी के कार्य हेतु टेक प्लेटें भाडे पर ले जाता रहा है और उक्त भाडा समय पर ही अदा करते आया है। वर्ष 2014–15 में अभियुक्त का कार्य पटारा में स्कूल भवन का चल रहा था और अभियुक्त वर्ष 2014–15 में परिवादी की दुकान से टेके प्लेटे लकडी की कडी, तख्ते व मिक्चर मशीन भाडे पर ले गया और अभियुक्त की ओर परिवादी का मु0 2,50,000 किराया बना था अभियुक्त ने मु0 5,00,000 नकद परिवादी को अदा कर दिये थे तथा शेष मु0 2,00,000 रू भाडे के अभियुक्त के उपर बकाया चला आ रहा था। अभियुक्त से जब परिवादी ने मु0 2,00,000 रू भाडे की मांग की तो अभियुक्त परिवादी को बार बार झूठा आश्वासन देता रहा कि मेरा विभाग से पेमेन्ट नही हुआ है जैसा पेमेन्ट होगा मैं आपकी उपरोक्त धनराशि अदा कर दूंगा। अभियुक्त परिवादी को कई वर्षो से टालता रहा जब परिवादी ने अभियुक्त को कहा कि मैं आपके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करूगां क्योकि आपका विभाग से भी भुगतान हो चुका है, आप जानबूझकर मेरी धनराशि नही दे रहे हो तो तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसकी दुकान पर दिनांक 25.07.2022 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिन्यालीसौड, जिला उत्तरकाशी में स्थित अभियुक्त के खाता संख्या 66410000100052706 का चैक संख्या 047494 मु0 2,00,000/ (दो लाख) रूपये का अपने हस्ताक्षरित कर परिवादी को जारी कर आश्वासन दिया गया कि परिवादी उक्त चैक के माध्यम से अपनी धनराशि आहरित कर सकता है। परिवादी द्वारा दिनांक 30.07.2022 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिन्यालीसौड, जिला उत्तरकाशी के खाते में उक्त चैक जमा करने पर दिनांक 01.08.2022 को उपरोक्त चैक बैंक द्वारा खाते में अर्पयाप्त निधि न होने की टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया गया। अभियुक्त का उपरोक्त चैक बैंक द्वारा अनादरित करने पर परिवादी ने मुल्जिम को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी डिमाण्ड नोटिस दिनांक 24.08.2022

जारी करवाया जो अभियुक्त को दिनांक 08.09.2022 को प्राप्त हुआ, परंतु अभियुक्त द्वारा परिवादी की मु 2,00,000/(दो लाख रूपये मात्र) की धनराशि अदा नही की आदि कथन कर अभियुक्त को दण्डित करने की प्रार्थना की गयी।

3. परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला होने पर अभियुक्त को पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881, की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में आहूत किया गया।

4. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा जमानत करायी गयी तत्पश्चात अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 251 के अन्तर्गत अभियोग का सारांश सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोग से इन्कार कर विचारण चाहा गया।

5. परिवादी साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य के रूप में परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र को ही अंगीकार करते हुये स्वंय को सी0डब्लू01 के रूप में परीक्षित कराया गया।

6. परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूल चैक, संख्या–047494 दिनांकित 25.07.2022, रिर्टन मेमो दिनांकित 01.08.22, रजिस्ट्रर्ड रसीद मूल दिनांक 24.08.22, नोटिस की द्वितीय प्रति दिनांक 24.08.2022, ट्रेकिंग रिपोर्ट आदि पत्रावली पर दाखिल किये हैं।

7. तदोपरान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–313 के अन्तर्गत अभियुक़्त की परीक्षा अंकित की गयी। अभियुक्त द्वारा मुख्यतः कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कोई समान नही लिया गया उसकी चैक बुक व अन्य दस्तावेज खो गये थे जिसकी उसने पुलिस व बैंक मे सूचना दी थी। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया।

8. अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में थाना पुलिस कोतवाली को दी गई कथित सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति व शपथपत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

10. अभियुक्त बच्चीराम के विरूद्ध पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा–138 के अन्तर्गत अपराध का अभियोग है। उक्त अभियोग को साबित करने हेतु उपरोक्त धारा के समस्त आवश्यक तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है। अतः हस्तगत मामले

में परिवादी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को साबित किया जाना है–

I. क्या अभियुक्त के द्वारा परिवादी को चैक संख्या–047494 मु0 2,00,000/– दिनांकित 25.07.2022 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिन्यालीसौड जिला उत्तरकाशी का किसी विधितया प्रर्वतनीय ऋण अथवा अन्य दायित्व के आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान हेतु दिया गया।

II. क्या प्रश्नगत चैक को परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा चैक बिना भुगतान के अनादरित कर दिया।

III. क्या परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अभियुक्त को चैक में वर्णित धनराशि की मांग हेतु लिखित नोटिस दिया गया।

IV. क्या अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त 15 दिन के भीतर चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

11. प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में कथन किये गये हैं कि वर्ष 2014–15 में अभियुक्त का कार्य पटारा में स्कूल भवन का चल रहा था और अभियुक्त वर्ष 2014–15 में परिवादी की दुकान से टेके प्लेटे लकडी की कडी, तख्ते व मिक्चर मशीन भाडे पर ले गया और अभियुक्त की ओर परिवादी का मु0 2,50,000 किराया बना था अभियुक्त ने मु0 50,000 नकद परिवादी को अदा कर दिये थे तथा शेष मु0 2,00,000 रू भाडे के अभियुक्त के उपर बकाया चला आ रहा था, जिसकी अदायगी हेतु प्रश्नगत चैक जारी किया गया था। परिवादी द्वारा स्वयं के शपथ पत्र में भी उक्त कथनों को दोहराते हुये समर्थन किया गया है।

12. उल्लेखनीय है कि पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा–139 इस विधिक उपधारणा का प्रावधान करती है कि, जब तक कि अन्यथा साबित ना कर दिया जाय यह उपधारणा की जाय कि चैक के धारक ने वह चेक धारा–138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा–118 में इस आशय की उपधारणा का प्रावधान है कि जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता यह उपधारणा की जायेगी कि हर पराक्रम्य लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी लिखित जब प्रतिग्रहित, पृष्ठांकित, पराक्रमित या अन्तरित हो चुकी हो, तब वह प्रतिफलार्थ प्रतिग्रहित, पृष्ठांकित, पराक्रमित या अन्तरित की गयी थी।

13. उपरोक्त उपधारणा अन्यथा व प्रतिकूल साबित होने तक है। इस प्रकार उपरोक्त उपधारणायें खण्डनीय है, जिनके खण्डन का भार अभियुक्त पर है। अतः

न्यायालय उक्त उपधारणा करने के लिए तब तक बाध्य है जब तक अभियुक्त द्वारा उपधारणा का खण्डन न कर दिया जाय। उक्त उपधारणा के खण्डन का मानक सम्भावनाओं की प्रबलता (Preponderance of probability)है।

14. अभियुक्त की ओर से परिवादी के प्रति प्रश्नगत चैक के सम्बन्ध में विधिक देनदारी के तथ्य से इंकार करते हुये बचाव में आधार यह लिया गया कि, उसकी चैक बुक ओर कुछ अन्य कागज आधार कार्ड, लाईसेंस आदि खो गये थे, जिसकी अभियुक्त द्वारा पुलिस में रिर्पोट की थी व बैंक में सूचना दी थी। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक तर्क दिये गये कि बचाव साक्ष्य में पुलिस को दी गई सूचना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति व शपथ पत्र दाखिल किये गये है, जिससे स्थापित होता है कि अभियुक्त का प्रश्नगत चैक खो गया था व उसके द्वारा परिवादी को चैक नही दिया गया।

15. अभियुक्त की ओर से लिये गये उक्त आधार के सम्बन्ध मे अवलोकनीय है कि, पत्रावली पर दाखिल प्रश्नगत चैक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिन्यालीसोड जिला उत्तरकाशी का है। अभियुक्त द्वारा स्वयं के बचाव साक्ष्य में थाना कोतवाली मे उसके बैग सहित समस्त कागज खोने में सूचना दिया जाना कहा गया है, परन्तु उक्त के खोने की दिनांक व स्थान का उल्लेख ना ही स्वयं के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के स्तर पर किया गया तथा ना ही धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्तर पर किया गया। अभियुक्त की ओर से कथित सूचना के सम्बन्ध मे कागजात व चैक बुक खोने के सम्बन्ध में जो कथित प्रार्थना पत्र कागज संख्या 22 क/3 दिनांकित 26.02. 2021 प्रस्तुत किया गया है, उक्त के अवलोकन से विदित है कि उसमे उसके द्वारा ओरियंटल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक एवं केनरा बैंक की चैक बुक व पास बुक खोना अंकित किया है, किन्तु जो शपथपत्र की छायाप्रति कागज संख्या 22 क/5 के रूप में दाखिल की है, यघपि वह छायाप्रति होने के कारण साक्ष्य में ग्रहय नही है तथापि काल्पनिक रूप से यथावत माने जाने पर भी उसके अवलोकन से विदित है कि उसमें प्रश्नगत चैक जिस पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिन्यालीसोड से सम्बन्धित है, की चैक बुक खोने सम्बन्धी, उल्लेख ही नही है।

16. इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा उसकी उपरोक्त बैंको की कथित रूप से चैक बुक व पास बुक खोने के सम्बन्ध में किसी भी बैक को कोई सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नही है, जिससे उसके द्वारा किसी भी बैंक को सूचना दिया जाना साबित होता हो तथा ना ही अभियुक्त की ओर से परिवादी से की गयी जिरह में अभियुक्त का प्रश्नगत चैक खोने व परिवादी द्वारा उसका दुरूपयोग किये जाने सम्बन्ध में कोई प्रश्न अथवा सुझाव ही दिया गया। उक्त से अभियुक्त द्वारा अपने

दायित्व से बचने हेतु चैक खोने का बनावटी आधार लिया जाना दर्शित होता है। जिसे वह साबित करने में विफल रहा है।

17. अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि, परिवादी ने अभियुक्त द्वारा उसकी दुकान से जो सामान लिया जाना कहा गया है, उसके बिल के सम्बन्ध में कोई मूल दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्थापित नही होता कि अभियुक्त ने परिवादी की दुकान से कोई सामान लिया व उसकी एवज में प्रश्नगत चैक दिया। उक्त तर्क के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में अभियुक्त द्वारा किसी भी स्तर पर प्रश्नगत चैक पर अपने हस्ताक्षर से इंकार नही किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में परिवादी को प्रश्नगत चैक जारी न कर उक्त के खोने का जो आधार लिया गया उसको स्थापित करने में भी वह असफल रहा है। जिस कारण सम्भावनाओ की प्रबलता परिवादी के पक्ष में है व परिवादी के पक्ष में विघमान विधिक उपधारणा के दृष्टिगत, यह साबित करने का भार कि, अभियुक्त की परिवादी के प्रति प्रश्नगत चैक में वर्णित धनराशि के सम्बन्ध में कोई विधिक प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व नही था, अभियुक्त पर था परतु अभियुक्त द्वारा उक्त भार का निर्वहन नही किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के दृष्टिगत अभियुक्त, परिवादी के पक्ष में सृजित पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 व 118 की उपधारणा का खण्डन करने में असफल रहा है, अतः यह तथ्य स्थापित है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु दिया गया था।

18. दूसरे व तीसरे बिन्दु के सम्बन्ध में परिवादी को यह स्थापित किया जाना था कि प्रश्नगत चैक आहरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर बिना भुगतान अनादरित होकर वापस प्राप्त हो गया, व परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अभियुक्त को चैक में वर्णित धनराशि की मांग हेतु लिखित नोटिस दिया गया, परिवादी की ओर से पत्रावली पर दाखिल अनादरण मेमो कागज संख्या 3क/9 से प्रश्नगत चैक संख्या –047494 मु0 2,00,000/– दिनांकित 25.07.2022 को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.08.2022 बैंक द्वारा प्रश्नगत चैक बिना भुगतान के अनादरित होना दर्शित है। अभियुक्त की ओर से उक्त के खण्डन मे कोई तर्क प्रस्तुत नही किया गया। परिवाद पत्र में अनादरण के पश्चात परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिनांक 24.08.202 को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस अभियुक्त को प्रेषित करवाया जाना अंकित है। परिवादी की ओर से पत्रावली पर विधिक नोटिस दिनांकित 24.08.2022 कागज संख्या 3क/11 व कागज संख्या 3क/12 व डाक रसीद कागज संख्या 3क/10 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दिनांक 24.08.2022 अंकित है। उल्लेखनीय है कि अनादरण मेमो दिनांक 01.08.2022 का है, जिससे यह साबित

होता है कि परिवादी द्वारा अनादरण की सूचना के तीस दिन के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया है।

19. जहां तक चोथे बिन्दु का सम्बन्ध है, उक्त हेतु यह स्थापित होना आवश्यक है कि नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त 15 दिन के भीतर चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से नोटिस मिलने के तथ्य से इन्कार किया गया है, परन्तु स्वयं के बयान अन्तर्गत धारा 251 व 313 द0प्र0संहिता में अभियुक्त द्वारा वही पता बताया गया है, जो कि नोटिस में अंकित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***सी0सी0 अल्वी हाजी बनाम पलापेती मुहम्मद एवं अन्य (2007)*** के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 27 जनरल क्लाजेज एक्ट के अधीन सही पते पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने तथा इसके वापस न आने पर इसकी प्राप्ति उपधारित की जा सकती है जब तक कि इसे प्रतिकूल साबित न किया जाये। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था सी0सी0 अल्वी हाजी में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुक्रम में, यदि परिवादी द्वारा अभियुक्त के सही पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114, जनरल क्लाउज एक्ट 1897 की धारा–27 की उपधारणा के आलोक में यह मान लिया जायेगा कि अभियुक्त को उक्त नोटिस प्राप्त हो गया था। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में उक्त उपधारणा के खण्डन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।जिसके दृष्टिगत यह साबित है कि अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर प्रश्नगत चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया।

20. इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अपराध के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक बिन्दु साबित हैं। अतः अभियुक्त बच्चीराम को पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त पर जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जायेगा।

दिनांक 16.02.2024

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

पुनः समय 3:00 बजे

सजा के प्रश्न पर सुना।

21. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किये गये कि अभियुक्त गरीब व वृद्व व्यक्ति है। अतः उक्त को ध्यान मे रखते हुये कम से कम सजा दिये जाने की याचना की गयी। अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के दृष्टिगत दोषसिद्व को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

22. दोषसिद्ध अभियुक्त बच्चीराम को पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध को तीन माह के साधारण कारावास की सजा तथा मु0 2,22,000/रू0 (दो लाख बाईस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की धनराशि में से मु0 2,20,000/रू0 (दो लाख बीस हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में देय होगा, शेष धनराशि मु0 2,000/रू0 (दो हजार रूपये) राजकोष में जमा की जायेगी।

जुर्माने की धनराशि मु0 2,000/रू0 (दो हजार रूपये) अदा न करने पर दोषसिद्ध को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रतिकर की धनराशि अदा न करने पर परिवादी विधिनुसार दोषसिद्ध से प्रतिकर की धनराशि वसूलने का अधिकारी होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि, यदि कोई हो तो उक्त सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त को यह अवगत कराया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि से तीस दिन के भीतर निर्णय के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील योजित कर सकता है।

इस निर्णय की एक सत्य प्रति अविलम्ब अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 16.02.2024

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

23. यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

दिनांक 16.02.2024

(चैरब बत्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।